RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-03
Issue-11
November -2018

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

बीसलपुर परियोजना का अजमेर व जयपुर के आर्थिक विकास मे योगदानः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

नन्दकिशोर सैनी

शोधार्थी, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 10 November 2018

Keywords
भूमिगत जल, आर्थिक विकास, विस्थापित।

[*]**Corresponding Author**
Email: nandkishoresaini1984[at]gmail.com

ABSTRACT

मानव विकास के लिए पानी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास व मानव के लिए स्वच्छ पानी अति आवश्यक है बढती आबादी के कारण पानी में लगातार कमी होती जा रही है तथा डार्क जोन कि संख्या बढती जा रही भूमिगत जल का दोहन अधिक होने के कारण पानी का स्तर प्रतिवर्ष तीन मीटर नीचे जा रहा है भूमिगत जल स्तर के लगातार गिरने के कारण जल कि गुणवत्ता कमजोर होने के कारण व जल कि अनियमित सप्लाई के कारण सतही जल के ऐसे स्त्रोत कि आवश्यकता प्रबल होने लगी जो अजमेर व जयपुर शहर को 24 घण्टे शुद्ध जल उपलब्ध करा सके, बीसलपुर परियोजना के कारण जयपुर व अजमेर वासियों ने महसूस किया कि पानी की गुणवत्ता में बदलाव हुआ है। अब उन्हें पानी के लिए लाईन में नही लगना पडता है पानी का प्रेशर ऊपरी इलाको में सही आ रहा है तथा खराब जल के कारण पेट कि होने वाली बीमारियों से उन्हें निजात मिल गई है पानी के इंतजार वाला समय अब आर्थिक विकास में काम आ रहा है।

यदि हम बीसलपुर परियोजना के कारण विस्थापित हुए 63 गांवों के निवासियों कि बात करे तो उनके सामाजिक व आर्थिक विकास को देखते हुए यह योजना विफल साबित हुई थी या हम कह सकते है कि हमने एक घर तबाह करके दो नये घर बना दिये है।

प्रस्तावना

अजमेर, ब्यावर, किशनगढ, आदि शहरों कि गम्भीर होती जा रही पेयजल समस्यां के शीघ्र समाधान हेतु सन् 1986 में टोंक जिले के बीसलपुर गांव के समीप बनास नदी पर, बीसलपुर पेयजल आपूर्ति एवं सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ था। इसका प्रथम उद्वेश्य जयपुर, अजमेर व टोंक को पेयजल उपलब्ध करवाना व द्वितीय उद्वेश्य टोंक जिले के क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाना था।

राजस्थान के 237 ब्लॉक में से 190 ब्लॉक डार्क जोन घोषित किये जा चुके है तथा कुछ ब्लॉक आने वाले समय में डार्क जोन बन सकते है यदि जल का दोहन उचित तरीके से नहीं किया गया। केन्द्रीय भू–जल बोर्ड की ओंर से घोषित 12 नोटिफाइड ब्लॉको में प्रशासन की बिना अनुमति के नलकूप नही खोदा जा सकता है पहले जहां पांच हॉर्स पावर की मोटर से पानी खीचा जाता था, वहां पर अब पन्द्रह हॉर्स पावर की मोटर भी विफल साबित हो रही है। पानी की गुणवत्ता में लगातार कमी हो रही है ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए बांध बनाकर वर्षा जल को रोका जाता है।

अब हम बात करते है कि बीसलपुर परियोजना स्थापित उद्वेश्यों की प्राप्ति कि दिशा में कितनी सजग व सफल रही एवं आर्थिक विकास में इसका क्या योगदान रहा, बीसलपुर परियोजना का निर्माण तो कर दिया गया परन्तु जलदाय विभाग ने न तो यह सच जानने कि कोशिश की और न ही इसका वास्तविक सर्वेक्षण कराया कि जब वर्षा नही होगी या कम होगी और बीसलपुर बांध में पानी नही आयेगा तब क्या होगा ?

बीसलपुर बांध जयपुर व अजमेर शहर के लिए एक अविश्वसनीय पेयजल स्त्रोत है क्योंकि बीसलपुर बांध से 2021 में 869 एम.एल.डी. के आधार पर परियोजना प्रस्तावित कि गई है जबकि बांध 1996 से लेकर 2018 के दौरान मात्र वर्ष 2004–05, 2006–07 व 2016–17 के अलावा कभी पूरा भरा ही नही और तो और वर्ष 2008–09 2009–10 व 2010–11 व 2018–19 में तो नहरों में पानी भी नही छोडा गया जिस कारण सिंचाई भी नही हो सकी।

बीसलपुर परियोजना के कारण जो विस्थापित हुऐ है उनके पुर्नवास हेतु आज भी कालोनियां पूर्ण रूप से विकसित नही हो पाई है पुर्नवास कालोनियों में सम्पर्क सड़क, आन्तरिक सड़के, हेण्डपम्प, कुंआ, स्कूल, चिकित्सा भवन, बीज गोदाम, सामुदायिक भवन व बाजारों का आज भी अभाव है। विस्थापित सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड गये है।

शोध सामग्री एवं शोध की विधि

इस शोध–कार्य में मुख्य रूप से प्राथमिक व द्वितीयक समंको का उपयोग किया गया है इनके विश्लेषण के आधार पर ही परिकल्पना की शुद्वता की कसौटी पर परख कि गई है। प्राथमिक समंको के संकलन हेतु 184 किसानों से साक्षात्कार अनुसूची भरवायी गयी जिसमें किसानों के विस्थापन से पूर्व और विस्थापन के पश्चात आये आर्थिक बदलाव का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है व द्वितीयक समंको हेतु बीसलपुर परियोजना के वार्षिक प्रतिवेदन, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, बीसलपुर परियोजना के क्षेत्रीय कार्यालयों के रिर्कोड से कृषि उपज मण्डियों से समंक का संग्रहण किया गया तथा वर्ष 2002–2003 से लेकर 2011–2012 तक के समंको का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया बीसलपुर परियोजना क्षेत्र में

RRIJM 2015, All Rights Reserved

आने वाले जिलो, तहसीलों, गांवो का विश्लेषण किया गया है। सिजमें जयपुर संभाग में जयपुर जिला व अजमेंर संभाग में अजमेर जिला व टोंक जिलों को शामिल किया गया है। बीसलपुर परियोंजना क्षेत्र में कृषि उत्पादकता, पशुपालन में वृद्धि, विद्युत उत्पादन में वृद्धि, वृक्षारोपण में वृद्धि, लोगो के लिये मूलभूत सुविधाओं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन के साधनों, यातायात व संचार साधनों में वृद्धि का विश्लेषण व अध्ययन किया गया है। शोधार्थी द्वारा फिल्ड कार्य को अधिक प्राथमिकता दि गई है तथा अधिकांश शोध कार्य सर्वे के आधार पर किया गया है।

शोध परिणाम

बीसलपुर परियोजना के कारण कुल 63 गांव विस्थापित हुए है। जिसमें डूब से प्रभावित परिवारो कि संख्या 5700 है एवं जनसंख्या लगभग 30000 है डूब क्षेत्र कि कुल भूमि 21836 हैक्टेयर है। विस्थापितों के पुर्नवास हेतु 118 कालोनियां विकसित कि जानी थी।

बीसलपुर परियोजना के अध्ययन के दौरान प्राप्त विवरण में बहुतायात संख्या में लोगो ने इस परियोजना को असफल बताया क्योंकि इस परियोजना के कारण हजारो लोगो को अपना घर छोडना पडा तथा पुर्नवास नीति सही नही होने के कारण वो आज भी दो जुन कि रोटी के लिए संघर्ष कर रहे है।

इस अध्ययन की महत्वपूर्ण प्राप्तियां निम्नानुसार है

- सिंचाई कि सुविधा में कोई विशेष वृद्धि नही देखी गयी। क्योंकि बांध खाली रहने के कारण अधिकांश वर्षो में नहरो में पानी का प्रवाह किया ही नही गया।
- विस्थापन के पूर्व 2 प्रतिशत लोगो के पास असिंचित भूमि थी विस्थापन के पश्चात 32.5 प्रतिशत व्यक्तियों के पास असिंचित भूमि हो गयी इससे ज्ञात होता है कि विस्थापितों को जो भूमि आंवटित कि गई उसमें सिंचाई कि सुविधा का ध्यान नही रखा गया।
- विस्थापन के पूर्व 13 प्रतिशत किसानों के पास 20 बीघा से अधिक जमीन थी, परन्तु विस्थापन के पश्चात् मात्र .5 प्रतिशत किसानो के पास 20 बीघा से अधिक जमीन थी, तथा 30 बीघा से अधिक भूमि वाले किसानों का प्रतिशत शुन्य हो गया जिससे कृषि उत्पादकता घटी है।
- विस्थापन के पश्चात् सिंचित क्षेत्र में फसलों के उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है तीन फसलों का उत्पादन करने वालो का प्रतिशत 77 से घटाकर 23 प्रतिशत ही रह गया तथा 100 क्वि. व 200 क्वि. उत्पादन होना प्रायः समाप्त हो गया।
- विस्थापितों को जहां पुर्नवास दिया गया है। वहां पर 29 प्रतिशत स्थानों पर ही पीने के पानी कि व्यवस्था है शेष 71 प्रतिशत स्थानों पर आज भी पीने के पानी की उचित व्यवस्था नही है तथा 92 प्रतिशत विस्थापितों के पास सरकारी नल कनेक्शन नही है। जहां नल है उन्हें 2 से तीन दिन के अन्तराल पर पानी वितरण किया जाता है और गर्मियों में यह अन्तराल और बढ जाता है।
- महिलाओं और बच्चों को 1 कि.मी. दूर से अधिक कि दूरी से पानी लेकर आना पड़ता है।
- 18 प्रतिशत विस्थापितों का पुर्नवास 50 कि.मी. से अधिक कि दूरी पर किया गया है जिस कारण उनके रिश्तेदार उनसे दूर हो गये और सामाजिक सुरक्षा कि कमी महसूस होने लगी।
- 67 प्रतिशत व्यक्तियों को जगह का आवंटन बिना उनकी राय लिये ही कर दिया गया व 6 प्रतिशत व्यक्तियों को अभी जमीन आवंटित होना शेष है। 72 प्रतिशत विस्थापित आज भी आवंटित कि गई जगह पर निवास नही कर रहे है। आवंटित की गई जगह पर विस्थापितों द्वारा निवास नहीं करने के निम्न कारण बताये गये है :–

तालिका – 1

क्र.सं.	आवंटित की गई जगह निवास नही करने का कारण	प्रतिशत
1.	बिजली की सुविधा न होना	48
2.	पेयजल की सुविधा न होना	53
3.	सिंचाई हेतु पानी का अभाव	49
4.	सड़कों का अभाव	56
5.	आबादी क्षेत्र से दूर होना	64
6.	अन्य व्यक्तियों द्वारा उनकी जमीन पर	9
7.	परिवहन के साधनों का अभाव	61
8.	अन्य कारण	.5

- 14 प्रतिशत बच्चों के लिए विद्यालय कि दूरी 1 किलोमीटर तक बढ गई है।

तालिका – 2
वर्तमान में विस्थापितों के घर से अस्पताल की दूरी

क्र.सं.	दूरी (कि.मी.)	प्रतिशत
1.	1 कि.मी. तक	46
2.	2 कि.मी. तक	2
3.	3 कि.मी. तक	29
4.	5 कि.मी. तक	23

- इस प्रकार स्वास्थ्य केन्द्रो कि दूरिया बढ गई जिस कारण मरीजों को तुरन्त प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाया व लोगो कि स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट आयी।
- 43 प्रतिशत विस्थापित जगहों पर आज भी पक्की सड़कों का अभाव है । जिस कारण परिवहन के साधन नही चल पर रहे है यदि एक या दो दो परिवहन के साधन किसी स्थान पर चल रहे है तो वो अपनी मनमर्जी से अधिक किराया वसूल रहे है। 27 प्रतिशत सड़के सीधे तहसील के जुडी हुई नही है। जिस कारण राजस्व, कोर्ट व अन्य कार्यो के लिए ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है व तीन–चार साधन बदलकर तहसील मुख्यालय पर आना पड़ता है।
- 17 प्रतिशत व्यक्तियों के लिए बाजार की दूरी 3 कि. मी. तक बढ गयी है।
- टोंक जिला रेल सेवा से जुड़ा हुआ नही है जिस कारण बीसलपुर बांध पर केवल देशी पर्यटक ही आते है।
- विस्थापन के पूर्व किसानों की वार्षिक पैदावार अच्छी थी और इससे उनकी अच्छी आमदनी हो जाती थी परन्तु विस्थापन के पश्चात् उनकी आमदनी में घटोतरी हुई और एक लाख रू वार्षिक पैदावर वाले किसान मात्र .5 प्रतिशत रह गये ।
- बीसलपुर परियोजना के कारण 38 प्रतिशत किसान स्वंय की कृषि से वंचित हो गये क्योंकि वे पर्याप्त जमीन नही खरीद पाये। 4 प्रतिशत कृषि मजदूरी पर आश्रितों की संख्या बढ गयी व अन्य मजदूरी करने वालों कि संख्या में 18 प्रतिशत तक कि बढोतरी हो गयी व 3 प्रतिशत स्वरोजगार घट गये, विस्थापन से पूर्व जो किसान स्वंय की कृषि करते थे वो किसान आज दूसरों के खेतो में 200 रू. से 300 रू. कि हिसाब के मजदूरी करने के मजबूर है। इस कारण इनके सामाजिक, आर्थिक जीवन स्तर से गिरावट आयी है।
- विस्थापन के पश्चात् बिजली कि सुविधा मे 3 प्रतिशत गिरावट आयी है। अधिकांश विस्थापित कृषि भूमि पर बस गये है। जिस कारण उन्हे घरेलु बिजली कनेक्शन नही मिला है। पावर लाईन 8 कि.मी. दूरी से गुजरने के कारण व 50 प्रतिशत से अधिक परिवार एक जगह निवास नही करने के कारण विद्युतिकरण नही किया गया है, 43 प्रतिशत व्यक्ति घरेलु कनेक्शन से वंचित है।
- प्राथमिक शिक्षा का स्तर 30 प्रतिशत घटा है जिस कारण छोटे बच्चे स्कूल नही जा पा रहे है।
- उपस्वास्थ्य केन्द्रो कि संख्या में 6 प्रतिशत कमी विस्थापन के पश्चात आयी है जिस कारण स्वास्थ्य सेवाओं का सुचारू रूप से लाभ नही मिल पा रहा है।
- विस्थापन के पश्चात् जिन विस्थापितों को अच्छी किस्म कि सिंचित भूमि आंवटित हो गयी तथा गांव में स्कूल, अस्पताल, अन्य आधारभूत सुविधायें उपलब्ध है उन 35 प्रतिशत व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। 21 प्रतिशत व्यक्तियों के जीवन स्तर में स्थिरता है तथा 44 प्रशित व्यक्तियों के जीवन स्तर में गिरावतट आयी है।

तालिका – 3
प्राप्त मुआवजें से संतुष्टि का स्तर

क्र.सं.	संतुष्टि का स्तर	प्रतिशत
1.	पूर्ण सन्तुष्ट	6
2.	आंशिक रूप से सन्तुष्ट	25
3.	असन्तुष्ट	69

तालिका – 4
बांध के निर्माण से विस्थापितों को हुई हानियां

क्र.सं.	बांध निर्माण से हुई हानियां	प्रतिशत
1.	आजिविका का पैतृक साधन छिन गया	79
2.	आपके गांव की पैतृक संस्कृति छिन गई	83

3.	आधारभूत सुविधाओं से वंचित	66
4.	संयुक्त परिवार बिखर गये	73
5.	छोटे बच्चे स्कूल नही जा पा रहें है	30
6.	मुआवजे कि राशि से पर्याप्त जमीन भी नही खरीद पाये	72
7.	खेती करने योग्य जमीन नही मिली	71

तालिका – 5
विस्थापितों को मुआवजा प्राप्त करने में आयी परेशानियां

क्र.सं.	विस्थापितों को मुआवजा प्राप्त करने में आयी परेशानियां	प्रतिशत
1.	रिश्वत देनी पड़ी	32
2.	परियोजना कार्यालय के बार–बार चक्कर लगाने पड़े	60
3.	केम्प स्थल व तारीख की सूचना नही मिलना	46
4.	कर्मचारियों का असहयोगात्मक रवैया	62
5.	कर्मचारियों का कार्यालय नही पहुचंना	57
6.	नामान्तरण अलग नही खुलना	32
7.	कर्मचारी जमीन नापने नही आते थे	32
8.	कोई परेशानी नही हुई	17

- बीसलपुर परियोजना के उच्च अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों का नियमित निरीक्षण नही किया जा रहा है जिस कारण परियोजना मे भ्रष्टाचार व कार्यो कि विलम्बता बढती जा रही है।
- बीसलपुर परियोजना में कार्मिकों का संतुलन सही नही है कुछ पदों पर कार्मिक आवश्यकता से ज्यादा है तो कुछ पदों पर आवश्यकता से कम, पटावारियों कि कमी के कारण नहरों के सिंचित क्षेत्र का रिकार्ड संधारित नही हो रहा है तथा राजस्व की वसूली भी नहीं हो पा रही है।
- बीसलपुर परियोजना में आंतरिक अंकेक्षण की व्यवस्था है तथा लेखा सेवा के कार्मिक व अधिकारी कार्यरत है उसके पश्चात् भी ऑडिट आक्षेप बढते जा रहे है जो कि परियोजना के कार्मिको व अधिकारियों की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाते है।
- बीसलपुर सिंचित क्षेत्र विकास तृतीय टोंक द्वारा जुलाई 2012 तक 71 पक्के खालो का निर्माण करवाया जा चुका है जिससे सिंचाई जल सुगमता से किसानो तक पहुंच रहा है परन्तु इनकी सार्थकता जब ही है जब नहरों में प्रतिवर्ष जल का प्रवाह हो।
- बीसलपुर बांध में, एनिकटों व नदियों में पानी भरा रहने के कारण मछली उत्पादन किया जा रहा है जिस कारण स्थानीय रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है, परन्तु बांध निर्माण से बनास, खारी व डाई नदियों का प्रवाह रूक गया है औेर नदी के नीचे के क्षेत्र के हजारों किसानों व मछुआरों की आजीविका छीन गई है। बनास नदी के खरबूजे कि मिठास गायब हो गयी है।
- केकड़ी (अजमेर) व टोडारायसिंह (टोंक) तहसील के किसानों द्वारा बीसलपुर बांध में अवैध रूप से डीजल पम्प सैट लगाकर सिंचाई की जा रही है जिस कारण यहां कि कृषि पैदावार में वृद्धि हुई है और यंहा के किसान सम्पन्न हो गये है तथा कृषि कार्य में ट्रेक्टर, थ्रेसर, यंत्रों का उपयोग बढ गया है तथा कई किसानों ने मिलकर बांध में से स्थायी पाइप लाईन भी डाल दी है।
- बीसलपुर बांध से जलदाय विभाग की 14 शहरों और 561 गांवों कि पेयजल योजनाएं जुडी हुई है, और दिन–प्रतिदिन नये गांवो/कस्बों/शहरों को इस पेयजल सप्लाई से जोडा जा रहा है जबकि वास्तविकता यह है कि पूर्व में जो गांव/कस्बे/शहर इस परियोजना से जुड़े हुए है उन्हें ही पर्याप्त मात्रा में प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध नही करवाया जा रहा है। 40 से 72 घण्टे के अन्तराल पर जल वितरण किया जा रहा है और गर्मियों में यह अन्तराल और भी बढ जाता है।
- बीसलपुर परियोजना से विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्वास हेतु 118 कालोनियों का प्रावधान है परन्तु उसमें से 112 कालोनियां ही विकसित कि जा रही है। जिसमें से 106 कालोनियां विकसित कि जा चुकी है परन्तु 6 कालोनियों अभी तक विकसित नही कि गई है। जो कालोनियां विकसित करने का दावा किया जा रहा है उसमें अभी भी आधारभूत सुविधाओं का अभाव है।
- विस्थापितों हेतु जो 112 कालेनियां है उनमें 11,553 प्लॉट है जिनमें से 8605 प्लॉट विस्थापितो को आंवटित किये जा चुके है परन्तु अभी तक 2748 प्लॉट आंवटित नही किये गये है जो 8605 प्लांट आवंटित किये गये है, उनमें से 5825 प्लांटो में विस्थापितों ने कब्जा लेकर रहना प्रारम्भ कर दिया है शेष रहे 2780 प्लांटो में विस्थापित आवंटन होने के

पश्चात भी निवास नही कर रहे है क्योंकि कालोनियां आबादी से दूर जंगल में काट दि गई है तथा कालोनियों में सुविधाये नही है।

- बीसलपुर बांध से प्रभावित किसानों को टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा जिले की 10 तहसीलो में अब तक 10,232 आंवटियों को कृषि भूमि का आवंटन किया गया है 479 आवंटियों को भूमि आवंटन करना अभी शेष है।
- पुर्नवास नोर्मस में कहा गया था कि विस्थापितों को इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र मे भी कृषि भूमि आवंटित की जायेगी परन्तु एक भी विस्थापित को इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में कृषि भूमि आवंटित नही कि गई।
- बीसलपुर सिंचित क्षेत्र में जिन विस्थापितों को कृषि भूमि आवंटित की गई है वो किसान खातेदारी के अधिकार से वंचित है क्योंकि इस तरह कि कृषि भूमि के लिए उन्हे 60 हजार रूपये कमाण्ड एरिया में जमा कराने होते है, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण किसान ये राशि जमा कराने कि स्थिति में नही है।
- शोधकर्त्ता ने विस्थापित क्षेत्र का जब अवलोकन किया और लोगो से सम्पर्क किया तो काश्तकारों ने बताया कि उन्होंने अपने स्वंय के खर्च पर ऊबड़, खाबड़ भूमि को कृषि योग्य बनाया है जबकि नियमानुसार लघु व सीमान्त जोत के काश्तकारों को भूमि सुधार हेतु 25 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवाया जाना था।
- भूमिहीन श्रमिकों एवं विस्थापित परिवारों के वयस्क पुत्रों के भूमि आवंटन हेतु कम से कम 5 एकड़ भूमि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में दिये जाने का प्रावधान किया गया परन्तु शोधकर्त्ता द्वारा क्षेत्र में किये गये सर्वे में ऐसा कोई लाभार्थी नही मिला और न ही परियोजना कार्यालय द्वारा ये जानकारी दी गई की किसी विस्थापित को इन्दिरा गांधी नहर परियोंजना क्षेत्र में भूमि आवंटित कि गई है।
- जमीन का रिकार्ड अपडेट नही होने के कारण विस्थापितों को मुआवजा मिलने में परेशानियों का सामना करना पड़ा।
- बांध पूरा भर जाने पर कई गांवों का व विस्थापित कालोनियों का सम्पर्क आपस में कट जाता है इन नदी नालो पर पुल नही बनाये गये है।
- बीसलपुर लघु वन परियोजना से 0.535 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है ये राजस्थान राज्य कि स्वंय की विघुत ईकाई है।
- जोतो का आकार बढने लगा है।

परिचर्चा

तालिका – 6

परियोजना अनुमान में विभिन्न वर्षो में पेयजल हेतु आवश्यकता निम्नानुसार

स्कीम	वर्षवार आवश्यक (टी.एम.सी. में)			
	1991	**2001**	**2011**	**2021 (अनुमानित)**
अजमेर	1.80	2.60	3.70	5.10
जयपुर	2.20	4.80	7.60	11.10
कुल	4.00	7.40	11.30	16.20

- बांध कि कुल भराव क्षमता 38.69 टी.एम.सी. है जिसमें से उपयोगी क्षमता 31.5 टी.एम.सी है वाष्पीकरण के बाद शेष उपयोगिता क्षमता 24.2 टी.एम.सी. रही है जिसमें से 5.1 टी.एम.सी. अजमेर 11.1 टी.एम.सी जयपुर पेयजल हेतु एवं शेष 8 टी.एम.सी सिंचाई के लिये आरक्षित कर रखा है। बांध में पानी का रिजर्वेशन वर्ष 2021 तक के लिए है बांध से जलदाय विभाग के 14 शहरों और 561 गांवो की पेयजल योजनाएं जुडी हुई है वर्ष 2021 तक जयपुर–बीसलपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट फेज–2 के पूरा होने के बाद पेयजल योजनाओं के लिए 6.9 टी. एम.सी. पानी कि अतिरिक्त आवश्यकता होगी जिसे पुरा करने के लिए सिंचाई के पानी की कटौती की जाए या फिर बांध कि ऊचांई बढाई जाए इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है।

परन्तु वास्तविकता कुछ और ही है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अनुसार बीसलपुर बांध में माह अगस्त 2018, में 8 टी.एम.सी. पेयजल था और यह पेयजल अधिकतम दिसम्बर 2018 तक चल सकता है पूरे वर्ष सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति के लिए 7 टी.एम.सी. पानी की और आवश्यकता पडेगी जो कि बीसलपुर बांध में उपलब्ध नही है तथा शहरी इलाकों में 25 मिनट तक जल कि कटौती प्रारम्भ कर दी गई है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 4–5 दिन के अन्तराल पर एकबार पेयजल कि आपूर्ति कि जा रही है अभी नवम्बर माह में ये हालात है तो फरवरी मार्च में क्या होगा, जयपुर शहर कि

RRIJM 2015, All Rights Reserved

पेयजल समस्याँ से निपटने के लिए पुनः 463 ट्यूबवैलों कि तैयारी कि जा रही है इसमें से 190 नये ट्यूबवैलों कि निविदा जारी कि जा रही है और 20 प्रतिशत पानी हर दिन बांध से कम लिया जा रहा है मात्र बड़े बांध बनाकर पानी कि समस्यां से निजात नही पा सकते है इसके लिए हमें जल का प्रबंधन करना हि होगा। इतने बड़े बांध बनाकर भी हम प्यासे है और हमें ट्यूबवैल खोदने पड़ रहे है तो हमें इन बडे बांधो का क्या फायदा अब इसका चिन्तन करना ही होगा क्योंकि रोथालिस बर्जर ने लिखा है – "हम मानवीय समस्याओं का समाधान अधिकांशतः गैर –मानवीय उपकरणों द्वारा गैर–मानवीय तथ्यों एंव आंकडो के सन्दर्भ में करते है।" मेरा सामान्य मत है कि मानवीय समस्याओं का समाधान भी मानवीय होना चाहिए।

अब हम बात करते है बीसलपुर बांध से होने वाली सिंचाई कि कहने को तो बीसलपुर बांध टोंक जिले के तीन विधानसभा क्षेत्र के किसानों कि लाइफ लाईन बन चुका है परन्तु हकीकत यह है कि बीसलपुर बांध पूरा नही भरने के कारण वर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11 व 2018–19 में तो नहरों में पानी छोडा ही नही गया जिस कारण किसानों कि हालत खराब हो जायेगी।

बीसलपुर बांध से 81,800 हैक्टयेर भूमि को सिंचित करने का दावा किया जा रहा है जबकि बांध बनने के कारण 21,836 हैक्टयेर भूमि तो हम पहले ही जलमग्न कर चुके है इस प्रकार वास्तव में तो 59,964 हैक्टयेर भूमि ही सिंचित हो रही है और वो भी जब ही संभव है जब बांध पूरा भरे और नहरों में पानी छोडा जायें।

तालिका–7

बीसलपुर परियोजना से सिंचित क्षेत्र निम्नानुसार है

क्र.सं.	नहर का नाम	सिंचित क्षेत्र (हेक्टयेर)	लाभन्वित गांवो की संख्या
1.	दायी मुख्य नहर	69,393	218
2.	बांयी मुख्य नहर	12,407	38
	कुल	81,800	256

निष्कर्ष :

बड़े बांध विनाश को जन्म देते है क्योकि बड़े बांधो ने हमारी तीन पीढियों को बेघर कर दिया है बांधो ने हमारे वर्तमान, भूत व भविष्य को धुंधला कर दिया है अब हमें पहले जैसे जल प्रपात, नदियां, झरने देखने को नही मिलते है। हमारी झीले भरने को भी तरस कर रह जाती है क्योंकि उनका पोषण करने वाली पहाडी, नदियों व झरनो को हमने बांध बनाकर रोक दिया है। बांध एक स्थाई समस्यां का अस्थायी हल है, क्योंकि आने वाले 100 सालो में यह बांध गाद से भर जायेगें, बडे बांध हमारी संस्कृति को और एक विशेष जीवन पद्धति को नष्ट कर रहे है। बांधो से पर्वतीय और आदिवासी लोग उजड़ रहे है। कंक्रीट से हम मकान बना सकते है किन्तु संस्कृति का पुनर्वास नही कर सकते है बडे बांधो से विविध वनस्पतियों और वन्य जीवों की तबाही हुई है, नदियों की परिस्थितियों को नष्ट कर दिया है और नदी के नीचे के क्षेत्र के हजारों किसानों और मछुआरों की आजीविका छीन ली है।

विस्थापितों को जो राशि मुआवजे के रूप में मिली वह मकान बनाने व पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में ही खर्च हो गयी विस्थापित इस मुआवजा राशि से आजीविका का कोई स्थायी साधन स्थापित नही कर सके। बीसलपुर परियोजना के निर्माण से किसानों की आजीविका का पैतृक साधन उनसे छीन लिया गया है। इसके बदले उन्हें जो मुआवजा या नकद धनराशि दी गई है वो कभी भी उनके पैतृक साधनों का मुकाबला नही कर सकता है अतः ये जो क्षति हुई है वो अपूर्णनीय क्षति है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोचनात्मक निष्कषों के आधार पर कहा जा सकता है कि बीसलपुर पेयजल एवं सिंचाई परियोजना जयपुर व अजमेर शहर को कुछ समय तक पानी उपलब्ध करवाने के लिए सफल कही जा सकती है, परन्तु विस्थापितों की समस्याओं को देखा जाये तो उस दृष्टि में ये परियोजना अपने मूल उद्वेश्य में असफल रही है, हमने अपने ही लोगो को अपनी धरती पर विस्थापित बनाकर दर–दर की ठोकरे खाने पर मजबूर कर दिया।

प्रस्तुत शोध में शुन्य परिकल्पना यह मानी थी कि बीसलपुर परियोजना का अजमेर व जयपुर के आर्थिक विकास में योगदान नहीं रहा । यहां यह परिकल्पना सत्य सिद्ध हुई है।

संदर्भ

अ पुस्तकें

1. अग्रवाल एण्ड अग्रवाल, एम.पी. (2006) वित्तीय प्रबन्ध के तत्व, रमेश बुक डिपो, जयपुर
2. शर्मा दामोदर (1996) जल और जल प्रदूषण, साहित्य ज्ञान प्रकाशन, जयपुर
3. गुप्ता, एम.एल. (2003) सामाजिक अन्वेषण की सर्वेक्षण पद्धतिया, साहित्य भवन, आगरा
4. गुर्जर, आर.के., माथुर पी.सी. (1992) पानी की खोज, पंचशील प्रकाशन, जयपुर
5. रावत, ज्ञानेन्द्र (2005) पर्यावरण विकास एवं यर्थात, साहित्य ज्ञान प्रकाशन, जयपुर

RRIJM 2015, All Rights Reserved

6. कोठारी, सी.आर. (2006) रिसर्च मेथडॉलाजी, विश्व प्रकाशन, नई दिल्ली
7. शर्मा, वीरेन्द्र प्रकाश (2007) रिसर्च मेथडॉलाजी, पंचशील प्रकाशन, जयपुर
8. ओझा, बी.एल. (2002) राजस्थान कि अर्थव्यवस्था, आदर्श प्रकाशन, जयपुर
9. नौलखा, आर.एल. (2011) प्रबन्ध के सिद्धान्त, रमेश बुक डिपो, जयपुर
10. शर्मा, बाबूलाल (2008) वन प्रदूषण एवं संरक्षण, शीतल प्रिन्टर्स, जयपुर
11. वर्लीपति, गोवर्धन (1993) टिहरी बांध का वातावरणीय प्रभाव, आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली

आ प्रतिवेदन

1. बीसलपुर बहुउददेशीय परियोजना कार्यालय, जयपुर वार्षिक प्रतिवेदन
2. निदेशालय जनशक्ति एवं गजेटियर्स राजस्थान, जयपुर (2002) गजेटियर टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा
3. जिला साँख्यिकी रूपरेखा, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा (2005) आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान, जयपुर

इ दैनिक समाचार पत्र

1. टाइम्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली
2. राजस्थान पत्रिका, जयपुर
3. दैनिक भास्कर, जयपुर

ई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

उ ई टीवी राजस्थान